

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/750

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुशीप व भू.अ.नि. थापन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्मदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा

आधार कार्ड, सरपंच कुशीप का प्रमाण पत्र।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्मदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्मदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	खेड़ा- खिदावड़ा	215, 220, 225, 227, 279, 280, 284.	शंकरिया पुत्र हरीया	शंकर लाल उर्फ - शंकरिया पुत्र हरी राम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025 / 21

दिनांक:- 16.10.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/सम्मदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण शंकर लाल पुत्र हरी राम जाति-मेधावाल निवासी-कुशीप तहसील सिवाना/सम्मदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

